बालूराम बनाम J-DA

81/2023

12/5/25 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप० बहस प्रा०पत्र सुनी गई प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली के साथ [illegible] बाद तामील दाखिल दफ्तर हो

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.07.23 10:34:16 IST
Reason: SelfAttested

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र : 81/2023

निर्णय दिनांक : 12.04.2024

1. बालूराम पुत्र रामकिशन जाति–अहिर निवासी ग्राम गोविन्दपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. जयपुर विकास प्राधिकरण जरिये सचिव, पता–जेएलएन मार्ग, इन्द्रा सर्किल के सामने, जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम बाबत पत्थरगढी

प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी उपरोक्त पते का निवासी है। जिसकी आराजी खसरा नम्बर 655 रकबा 0.19 हैक्टयर स्थित ग्राम गोविन्दपुरा पटवार हल्का शिकारपुरा भू.अ.नि.क्षेत्र शिकारपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे स्थित है। जो कि राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी के नाम राजस्व जमाबन्दी में दर्ज चली आ रही है और उक्त भूमि पर प्रार्थी कब्जे काश्त है परन्तु खसरा नम्बर 655 के बगल की भूमि खसरा नम्बर 651 अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज हो गयी है और वर्तमान मे आवासीय प्रयोजनार्थ उक्त भूमि का उपयोग किया जाना है और मौके पर पटटे काटे जा रहे है। अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि खसरा नम्बर 651 की आड मे प्रार्थी के खसरा नम्बर 655 की भूमि मे बिल्डर सुरेन्द्र कुमार सैनी के द्वारा प्रार्थी की भूमि को अपनी बताकर प्रार्थी की भूमि मे करीबन 26 फिट तक अपना कब्जा बताया जा रहा है जिसका सीमाज्ञान दिनांक 11.05.2023 को अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा करवाया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 उक्त भूमि पर जबरन प्रवेश करके प्रार्थी की भूमि पर भी पटटे काटकर पटटेधारियो को कब्जा करवाना चाहता है। इसलिये उक्त भूमि का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। दिनांक 11.05.2023 के पश्चात भी अप्रार्थी संख्या 1 के कर्मचारी प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 655 मे नाप जोक करने लगे तो प्रार्थी ने उक्त नाप जोक करने से मना किया तथा सीमाज्ञान होने की बात बताई परन्तु उक्त लोगो के द्विारा प्रार्थी की भूमि को अपनी बताकर प्रार्थी की भूमि पर ही कब्जा करने की नियत से पटटेधारियो को पटटा देना चाहते है। जिसके लिये पत्थरगढी करवाकर प्रार्थी अपनी सीमाओ को पुख्ता करवाना चाहता है ताकि किसी प्रकार का कोई वाद विवाद नही होवे। प्रार्थी मद संख्या 1 में वर्णित भूमि का अभिलिखित खातेदार काबिज काश्तकार है। प्रार्थी को अपनी भूमि का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.07.23 10:34:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 655 रकबा 0.19 हैक्टयर स्थित ग्राम गोविन्दपुरा पटवार हल्का शिकारपुरा भू.अ. नि.क्षेत्र शिकारपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर का मौके पर सीमाज्ञान व पत्थरगढी करने की कृपा करे तथा अप्रार्थी संख्या 2 को इस बाबत आदेश जारी करने की कृपा करे कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 मे वर्णित प्रार्थी की भूमि का ठोस सीमा चिन्ह कायम कर पत्थरगढी करे।

प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को रजिस्टर नोटिस जारी किये गये। प्रार्थी ने तहसीलदार सांगानेर की सीमाज्ञान मौका–फर्द रिपोर्ट दिनांक 11.05.2023 पेश की जो पत्रावली में शामिल मिसल है।

पत्रावली में बहस प्रार्थी अधिवक्ता की सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी की ग्राम गोविन्दपुरा पटवार हल्का शिकारपुरा भू.अ. नि.क्षेत्र शिकारपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 655 रकबा 0.19 हैक्टयर की पत्थरगढी करवाने का आदेश प्रदान किया जावे।

बहस प्रार्थी अधिवक्ता व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया जाने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि यदि अन्य किसी दिगर न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो अपने स्तर पर टीम गठित कर प्रार्थीगण की वाके ग्राम ग्राम गोविन्दपुरा पटवार हल्का शिकारपुरा भू.अ. नि.क्षेत्र शिकारपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 655 रकबा 0.19 हैक्टयर की उभयपक्षकारान को सूचित कर, नियमानुसार तहसीलदार सांगानेर की सीमाज्ञान मौका–फर्द रिपोर्ट दिनांक 11.05.2023 के अनुसार पुख्ता सीमाचिन्ह कायम करें।

निर्णय आज दिनांक 12.04.2024 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह )
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.07.23 10:34:16 IST
Reason: SelfAttested